लोकसभा :→ संगठन कार्य और अधिकार

Lok Sabha → Organisation power and function

भारतीय संविधान की धारा 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति और दो सदन राज्य सभा और लोक सभा आते हैं। लोक सभा भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या प्रतिनिधि सदन है। लोक सभा की सदस्य संख्या शुरू में 500 निर्धारित की गई थी। बाद में कई बार इसमें वृद्धि की गई। 31 वें संवैधानिक संशोधन (1973) के द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई। 525 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 1987 में गोआ दमन एवं पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा सदस्य संख्या को बढ़ाकर 550 कर दिया गया है - 530 राज्यों से और 20 संघ - क्षेत्रों से चुने जाएंगे। धारा 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से दो सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न स्थान दिये गए हैं। जैसे बिहार को 54, U.P को 85 M.P को 40, राजस्थान को 25, प० बंगाल को 42 महाराष्ट्र को 48, उड़ीसा को 21 आदि। धारा 330 के अनुसार लोक सभा में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित किये गए हैं।

धारा 84 के अनुसार लोक सभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएँ निम्न हैं — (1) भारतीय नागरिक होना (2) कम से कम 25 वर्ष की उम्र का होना (3) संसद के कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ। धारा 102 के अनुसार, संसद

की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति अयोग्य है, जो (1) भारत या राज्य सरकार के अंदर किसी भी लाभ के पद पर हो (2) पागल हो (3) दिवालिया हो (4) अन्य देश का नागरिकता ग्रहण किये हो। (5) संसदीय कानून द्वारा अयोग्य घोषित हो। धारा 103 के अनुसार, सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है।

सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं। Single member Constituencies होती है। मतदाता के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। कम से कम 18 वर्ष का हो, संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम 180 दिन रहा हो। मतदाता सूची में उसका नाम हो।

सदन का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का है (धारा 83) आपातकाल मे एक बार मे अधिकाधिक 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सदन कार्यकाल के दौरान भंग भी किया जा सकता है जैसे - 1970 79, 80 और 91 में किया गया है।

धारा 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सदनों की बैठक बुला सकता है। साल में कम-से कम दो बार बैठक जरूरी है। सदन बैठक के लिए गणपूर्ति (Quorum) सदस्य संख्या का 10वाँ भाग है। (धारा 100) सदन के सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है (धारा 99) सदन के सदस्यों को कई विशेषाधिकार देता है (धारा 105) सदन मे भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

सदन के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते है (धारा 93)

Scanned with CamScanner

अध्यक्ष सदन की बैठक के कार्यक्रम तय करता है वाद-विवाद के समय निश्चित करता है, प्रश्न स्वीकृत करता है, सदन के बैठक अध्यक्षता करता है एवं समितियों के अध्यक्ष नियुक्त करता है। धन विधेयक को प्रमाणित करता है, निर्णायक मत (Casting vote) देने का अधिकार रखता है। आदि-आदि। भारतीय अध्यक्ष की स्थिति ब्रिटिश और अमेरिकी अध्यक्ष की बीच की स्थिति रखता है।

लोक सभा की शक्तियाँ और कार्य

लोक सभा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। दर असल भारत या संसद को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग लोक सभा ही करती है। उसकी शक्तियों और कार्यों को इस तरह दिखाया जा सकता है :—

(1) कानून निर्माण की शक्ति (Legislative Power) →

धारा 107 के अनुसार गैर धन विधेयक या साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर विधेयक कानून बनता। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों मतभेद होया एक सदन कोई विधेयक पारित करे और दूसरा सदन उसे अस्वीकृत करे तो या 6 माह तक रोक ले तो धारा 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। चूँकि लोक सभा की सदस्य संख्या राज्य सभा की सदस्य संख्या से दुगुनी से भी अधिक है अतः विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार ही पारित होगी।

इस तरह Non-money Bill के संबंध अंतिम शक्ति लोक-सभा की ही है।

1961 में दहेज निवारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। लोक सभा के इच्छा के अनुरूप ही विधेयक पारित हुआ।

(2) वित्तीय शक्तियाँ (Financial powers) धारा 109 के अनुसार धन विधेय (Money Bill) लोक-सभा में ही प्रस्तावित होगा। लोक सभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में जाएगा। यदि राज्य सभा उसे अस्वीकृत करती है या 14 दिन तक रोक लेती है या लोक सभा की मर्जी के खिलाफ उसमें संशोधन करती है तो भी वह विधेयक 14 दिन की अवधि के बाद माना जाएगा कि दोनों ही सदनों द्वारा पारित हुआ उसी रूप में जिस रूप में लोकसभा चाहे। इस तरह धन-विधेयक पर पूरी शक्ति लोक सभा को ही प्राप्त है।

(3) संविधान संशोधन की शक्ति (Power of admending the Constitutions) संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। दोनों सदनों में विरोध की स्थिति में ऐसा विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। 1970 में प्रिवी पर्स उन्मूलन संबंधी संशोधन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित हुआ पर राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ पर राज्य सभा ने उसमें पाँच संशोधन कर दिये।

इस तरह इस संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(4) प्रशासन पर नियंत्रण (Control over Administration) → मंत्रीपरिषद का निर्माण लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रीपरिषद लोक सभा के प्रति ही सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होती है (धारा 75) लोक सभा के सदस्य प्रश्न, वाद-विवाद, काम रोको प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रीपरिषद को नियंत्रित करते हैं।

Scanned with CamScanner

राज्य सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है

(5) जनता की शिकायतों का निवारण (Redress of Public grievances) →
चूँकि लोक सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका कर्त्तव्य है कि वे जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुँचाएं और उनके निवारण के लिए प्रयास करें।

(6) विविध कार्य (Miscellaneous functions)→ लोक सभा राज्य सभा से मिलकर कुछ अन्य कार्य भी करती है - जैसे - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अपदस्थता, न्यायाधीशों पर महाभियोग, आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन, सर्वसम्मा प्रदान करना आदि। नियमों की कमजोरियों, प्रधानमंत्री का महत्व आदि कारणों से लोकसभा या संसद पर मंत्रीमण्डल का इतना अधिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है कि हम मंत्रीमण्डलीय अधिनायकत्व की बात करने लगते हैं फिर भी जनमत संसदीय जीवन में आस्था और संवैधानिक परंपराओं तथा संविधान के प्रावधानों के चलते मंत्रीमण्डल की स्थिति मर्यादित होती है।

नवंबर 1990 में तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास कर एक मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया गया था। लोकसभा में बहुमत नहीं रहने के कारण चन्द्रशेखर सरकार आज चार माह तक ही कार्य कर सकी। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मात्र 13 दिन और देवगौड़ा सरकार मात्र 10 माह ही कार्य कर सकी। गुजराल सरकार भी लोकसभा में बहुमत का समर्थन बहुत दिनों

Scanned with CamScanner

तक बनाए नहीं रह सके। मार्च 1998 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 17-18 दलों की बैसाखियों के सहारे ज्यादा दिन नहीं चल सकी और पुनः अप्रैल 1999 में सरकार गिर गई इसबार यह मात्र तेरह महीने ही टिक सकी। इसबार जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो अटल की सरकार मात्र एक ही मत नहीं जुटा सकी और पुनः सरकार गिर गई।

Scanned with CamScanner